प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– गुग्गसार

राजीनामा

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,, SDO कोटकासिम

दिनांक 13-6-2016

रूडाराम बनाम धन्नीराम

प्रकरण संख्या :– 08-09-188 अन्तर्गत धारा R.T. Act 1955

05/ 26-4-16

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री रूडाराम का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

वादी को वाद डिक्री करदिया जावे हम सब पक्षकार सहमत है

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. रूडाराम (वादी)

2.

3.

4.

प्रतिवादी पक्ष 1. धन्नाराम

2. कुम्भरसिंह

3. राधाराम

4. राजाराम सिंह

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (वादी पक्ष) नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी / वादी .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

Rajkumar Adv

पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.........गुणसार................

पीठासीन अधिकारीः– *बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस*

उनवान

रुडाराम.............वनाम...............धनीराम वगै0

दावा बाबत....इयतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधि01955

मुकदमा नम्बर :– 85/26.04.2016
निर्णय दिनांकः–

वादी की ओर से.......रुडाराम....की व प्रतिवादी की ओर से....धनीराम वगैरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 13.06.2016 को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 835 रकबा 2–18 बीघा, 969 रकवा 0–18 विस्वा, 392 रकवा 2–01 विस्वा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर के 1/2 हिस्सा पर से असल प्रतिवादी सं0 1 से 22 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजियात में वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं0 24 को समभाग में 1/4 हिस्सा पर , तरतीवी प्रतिवादी 25 से 29 को समभाग में 1/8 हिस्से पर तथा तरतीबी प्रतिवादी 30 से 38 को समभाग में 1/8 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बाद दुरुस्ती वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 से 22 के नाम का अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख...13.06.2016....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट गुणसार

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4. ....रुपयों पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

5/6/16 पत्रावली का अवलोकन ... निस्तारण योग्य होने से अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लांक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 13/6/16 को पेश हो।

13/6/16 आज उपर पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वादी वकील ... किया गया। उपस्थित सरकार जवाब पेश किया आ.पत्रा. शामिल। प्रतिवादीगण 8,9 की ओर से श्री राजकुमार Adv. व प्रतिवादीगण ... की ओर से श्री राकेश कुमार Adv व प्र.प्रति. की ओर से श्री कृष्ण कुमार यादव Adv ने वकालतनामा पेश किया। ... का दावा प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी व प्र.प्रति. गण का दावा कैम्प कोर्ट में आज ही डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। तथा राजीनामा भी पेश किया जो ... पश्चात आ.पत्रा. किया गया। प्रकरण में ... वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी हाल ख.नं. 835 रकबा 2-18 बीघा, 969 रकबा 0-18 बिस्वा, 392 रकबा 2-01 बिस्वा वाके ग्राम गुजरवार के 1/2 भाग से अमल प्रति. 1 से 22 का नाम खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजियात पर वादी व प्र.प्रति-24 को समभाग 1/4 भाग, प्र.प्रति. 25 से 29 को समभाग 1/8 भाग, प्र.प्रति. 30 से 38 को समभाग 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रा. के निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय ... डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखकर जारी आ.पत्रा. कर शामिल गया। पत्रावली नतीजे के बाद दाखिल दफ्तर की जावे।

राजपाल सिंह

राधाराम

रामकेश

रामलक्ष्मी

Rajkumar Adv

उपखण्ड अधिकारी
(...)

Scanned by CamScanner